

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं

केन्द्रीय योजनाएं

1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

(Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme)

उद्देश्य

वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

पात्रता

60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जो गरीबी रेखा से नीचे रहे रहे चयनित परिवार का सदस्य हो।

सहायता

- 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु के पैशनरों को ₹ 700 प्रतिमाह (₹ 200/- केन्द्रीय हिस्सा तथा ₹ 500 राज्य हिस्सा)
- 80 वर्ष से अधिक आयु के पैशनरों को ₹ 1250/- प्रतिमाह (₹ 500/- केन्द्रीय हिस्सा तथा ₹ 750 राज्य हिस्सा)

2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पैंशन योजना

(Indira Gandhi National Disability Pension Scheme)

उद्देश्य

विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

पात्रता

- 18 से 79 वर्ष के विकलांग व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवार का सदस्य हो।
- ऐसे विकलांग अव्यस्क बच्चे जिन्हें "व्यक्ति जिनमें अक्षमताएं (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण, एवं पूर्ण भागीदारी)" अधिनियम 1995 की धारा 2 के अन्तर्गत अपंगता की परिभाषा के अनुसार 80 प्रतिशत से अधिक गम्भीर अपंगता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

सहायता

₹ 1250/- प्रतिमाह (₹ 300/- केन्द्रीय हिस्सा तथा ₹ 950/- राज्य हिस्सा)

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पैंशन योजना

(Indira Gandhi National Widow Pension Scheme)

उद्देश्य

विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

40 से 79 वर्ष की आयु की विधवा जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवार का सदस्य हो।

सहायता

₹ 700/- प्रतिमाह (₹ 300/- केन्द्रीय हिस्सा तथा ₹ 400/- राज्य हिस्सा)